

S.No 23

PABX : 26588980, 26588707, 26589336, 26589873, 26589302
FAX : 011-26588662, 011-26859791, 011-26589258

web-site : www.icmr.nic.in
E-mail : icmrhqds@sansad.nic.in



भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद
INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH (MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE)
V.RAMALINGASWAMI BHAWAN, ANSARI NAGAR, NEW DELHI-110029

No.16/26/2012-Admn.II

Dated: 6.3.2019

To

The Directors/Directors-in-charge of
all ICMR Institutes/Centres

Subject:- Recruitment Rules for Hindi staff at ICMR -

Sir/Madam,

I am directed to circulate herewith the ICMR Hindi Cadre Recruitment Rules, 2018 for implementation.

Yours faithfully,

(Bharat Bhushan)
Sr. Administrative Officer
For Director General

Copy to:

1. PS to DG
2. PS to Addl. DG
3. PS to Sr. DDG(A)
4. PS to Sr. FA
5. All Heads, Technical Divisions
6. PS to ADG(A)
7. All Sr. AOs/AOs
8. SO (Admn.I) —
9. Head, ISRM for uploading on ICMR website.

INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH
Recruitment Rules For Hindi Cadre Posts in ICMR

In exercise of powers conferred under the Rules & Regulations and Bye-laws of the ICMR, the Director General, ICMR formulates the following Recruitment Rules for Hindi Cadre posts in ICMR.

1. Short Title & Commencement

- (1) These Rules shall be called "the ICMR Hindi Cadre Rules, 2018".
- (2) They shall come into force on the date of their publication.

2. Definitions

In these rules, unless the context otherwise requires:

- (a) "Appointing Authority" means the Senior Deputy Director General (Admn) in the case of Group B posts (Level-6&7) of ICMR HQs and Director or Director-in-Charge of the Institutes/Centres as the case may be, and Director General, ICMR in the case of all Group A posts (Level-10 & 11);
- (b) "Authorized cadre strength" in relation to a cadre, means the strength of duty posts in that cadre against which regular appointment may be made;
- (c) "Cadre" means the ICMR Hindi Cadre;
- (d) "Council" means the Indian Council of Medical Research;
- (e) "DG, ICMR" means the Director General of Indian Council of Medical Research;
- (f) "Director" means the Director/Director-in-charge of the Institute/Centre;
- (g) "Duty post" means any post permanent or temporary included in the Schedule;
- (h) "Government" means the Department of Health Research in the Government of India;
- (i) "Institutes / Centres" means the permanent Institutes and Centres of the Council;
- (j) "Hindi Cadre" means the groups of posts mentioned under rule 3 of these rules;
- (k) "Schedule" means a schedule appended to these rules.
- (l) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the same meaning as assigned to them in clauses (24) and (25) respectively of Article 366 of the Constitution of India;

3. Composition of the Cadre

The Composition of Hindi Cadre Posts would be as under: -

Table

Group	Post/Grade	Residency Period in years for promotion to next Level	Pay Scale (6 th CPC)			Pay Level in the Pay Matrix (7 th CPC)
			Pay Band	Pay	Grade Pay	
B	Junior Translator	5	PB-2	9300-34800	4200	Level-6
B	Senior Translator	3	PB-2	9300-34800	4600	Level-7
A	Assistant Director (OL)	5	PB-3	15600-39100	5400	Level-10
A	Deputy Director (OL)		PB-3	15600-39100	6600	Level-11

4. Method of recruitment and eligibility

Recruitment to various grades of the cadre shall be made in accordance with the Schedule. For Direct Recruitment to the post of Junior Translator, the paper for written examination shall be set up by DG, ICMR or his nominee.

5. Authorized cadre strength of the grades

The authorized cadre strength of various grades of the cadre on the date of commencement of the rules shall be as specified in the Schedule.

6. Initial Constitution of the Cadre

(1) All Group A & B Hindi Staff working in the Council on the date of commencement of these rules shall be deemed to have been appointed to the relevant Hindi posts described in rule 3 based on the option given by them, in the Pay Levels in the Pay Matrix corresponding to those which they were holding on regular basis on the date of the initial constitution as shown in the above table. DG, ICMR shall have the authority to modify, alter or make additions or deletions in the table.

(2) To the extent the sanctioned strength of various grades in the cadre is not filled at the time of initial constitution, it shall be filled in accordance with rule 7.

7. Future Maintenance of services

On completion of the initial constitution of the Cadre by the appointment of existing persons in accordance with Rule 6, all subsequent posts shall be filled in the manner provided in the Schedule.

8. Probation

(1) Every direct recruit and a Promotee from one Pay Level to another Pay Level in the Pay Matrix and if it involves change of group after the commencement of these rules, shall be on probation for a period of two years from the date of appointment.

(2) The period of probation may be extended but the total period of extension of the probation period shall not, save where it is necessary by reason of any Departmental or legal proceedings pending against the person, exceed one year.

(3) During the period of probation, the members of the Cadre may be required to undergo such training and pass such tests as the DG, ICMR may prescribe.

9. Seniority

(1) Persons appointed to a Pay Level in the Pay Matrix on initial constitution of the Cadre shall count their seniority from the date of their regular appointment to the earlier Pay Level and shall be senior to those appointed under Rule 7 after constitution of the cadre. Combined inter-se seniority shall be maintained on all India basis for Group "A" posts to effect promotions.

(2) Direct recruitment shall be Institute/Centre-wise. Persons recommended and appointed under Rule 7 shall rank inter-se in the order of their appointment to the Pay Level in the Pay Matrix.

Provided that where quotas have been prescribed for various modes of recruitment, the inter-se seniority of the persons appointed to the Pay Level in the Pay Matrix shall be in accordance with the ratio prescribed for each mode of recruitment.

Provided further that a person recommended for appointment to a Pay Level in the Pay Matrix refuses at any time to be appointed to that grade for reasons acceptable to the appointing authority, shall on his appointment to the Pay Level any time thereafter, be placed immediately after the person who was last appointed to the Pay Level.

10. Liability of officers to serve in India or/and abroad

All employees appointed or deemed to be appointed shall be liable to serve anywhere in India or/and abroad.

11. Disqualification

No Person, -

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment in the Council:

Provided that the Competent Authority may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

12. Power to relax

Where the DG, ICMR is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of person.

13. Saving

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons like Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

14. Interpretation

Where any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these rules, the matter shall be referred to the DG, ICMR, whose decisions shall be final.

15. Power to remove difficulties

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these rules, the DG, ICMR may make such provisions or issue such instructions with regard to the provisions of these rules, as may appear to be necessary or expedient for removal of the difficulty in implementing these rules.

16. Repeal

The ICMR Hindi Cadre Rules, 2013 are hereby repealed and these rules supersede all the existing rules related to recruitment and promotion of Hindi Cadre staff in ICMR Institutes/Centres to the extent the existing rules are inconsistent with these rules.

Schedule

1	Name of the Post	Junior Translator
2	No. of Post	8* (2018) * Subject to variation depending on workload
3	Classification	Group B, Non-Ministerial
4	Pay Level in the Pay Matrix	Level-6 of the Pay Matrix (Pre-revised Pay Band-2, Rs.9300 34800/- Grade Pay-Rs.4200/-)
5	Whether Selection Post or Non-selection Post	Not Applicable
6	Age limit for Direct Recruits	30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman Nicobar Islands or Lakshadweep)
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Master's degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Master's degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; OR Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; OR Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level; AND Recognized Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English & vice versa or two years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central or State Government office, including Government of India Undertaking. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the DG, ICMR in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the DG, ICMR in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the DG, ICMR is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

8	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees	Not Applicable												
9	Period of Probation, if any	Two years												
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and the percentage of vacancies to be filled by various methods.	Direct Recruitment Note: "Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government:- (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under col.7".												
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	Not applicable												
12	If a Selection Committee /D.P.C. exists what is its composition	<table border="1"> <tr> <td>Appointing Authority</td> <td>:</td> <td>Director / Director-in-Charge of Institutes/ Centres and Senior DDG (A) or their nominee - Chairman</td> </tr> <tr> <td>Two External Members</td> <td>:</td> <td>Assistant Director and equivalent from Central Govt. Offices/ Organizations or Academic Institutes</td> </tr> <tr> <td>Internal Member</td> <td>:</td> <td>Administrative Officer equivalent from other ICMR Institute/ Centre</td> </tr> <tr> <td>Member</td> <td>:</td> <td>Representative from SC/ST category in Level-10 of the Pay Matrix [Pre-revised Grade Pay of Rs.5400] and above.</td> </tr> </table>	Appointing Authority	:	Director / Director-in-Charge of Institutes/ Centres and Senior DDG (A) or their nominee - Chairman	Two External Members	:	Assistant Director and equivalent from Central Govt. Offices/ Organizations or Academic Institutes	Internal Member	:	Administrative Officer equivalent from other ICMR Institute/ Centre	Member	:	Representative from SC/ST category in Level-10 of the Pay Matrix [Pre-revised Grade Pay of Rs.5400] and above.
Appointing Authority	:	Director / Director-in-Charge of Institutes/ Centres and Senior DDG (A) or their nominee - Chairman												
Two External Members	:	Assistant Director and equivalent from Central Govt. Offices/ Organizations or Academic Institutes												
Internal Member	:	Administrative Officer equivalent from other ICMR Institute/ Centre												
Member	:	Representative from SC/ST category in Level-10 of the Pay Matrix [Pre-revised Grade Pay of Rs.5400] and above.												

*For DR, there will be written test comprising of general scientific knowledge related to health care and translation from English to Hindi and vice versa

- | | |
|--------------------|----------|
| 1. ICMR HQs | -3 posts |
| 2. NIMR, Delhi | -1 post |
| 3. RMRIMS, Patna | -1 post |
| 4. DMRC, Jodhpur | -1post |
| 5. RMRC, Jabalpur | -1 post |
| 6. NIOH, Ahmedabad | -1 post |

Schedule

1	Name of the Post	Senior Translator
2	No. of Post	One* (2018) *Subject to variation depending on work load
3	Classification	Group B, Non-Ministerial
4	Pay Level in the Pay Matrix	Level-7 of the Pay Matrix (Pre-revised Pay Band-2, Rs.9300 34800/- Grade Pay-Rs.4600/-)
5	Whether Selection Post or Non-selection Post	Selection
6	Age limit for Direct Recruits	30 Years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman Nicobar Islands or Lakshadweep)
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential: Master's degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Master's degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; OR Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; OR Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level; AND Recognized Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English & vice versa or three years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in a Central or State Government office, including Government of India Undertaking. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the DG, ICMR in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the DG, ICMR in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection

		the DG, ICMR is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
8	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees	Age – No Educational Qualifications – Yes as mentioned in Col. 7
9	Period of Probation, if any	Two years for Direct Recruits
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and the percentage of vacancies to be filled by various methods.	By promotion, failing which by deputation, failing both by direct recruitment
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	<p><u>Promotion</u></p> <p>From amongst Junior Translators in Level-6 of the Pay Matrix (Pre-revised in Pay Band-2: Rs.9300 34800/- and Grade Pay-Rs.4200/-) with 5 years regular service in the grade and have successfully completed the training of 4-6 weeks.</p> <p>Note:</p> <p>Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><u>Deputation</u></p> <p>Officers from the Central/State Governments/ UTs/ Autonomous Bodies:-</p> <p>(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or</p> <p>(ii) with 5 years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-6 of the Pay Matrix (Pre-revised in Pay Band-2: Rs.9300 34800/- and Grade Pay-Rs.4200/-); and</p> <p>(b) Possessing the qualifications laid down for direct recruits under column 7.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central</p>

		Government shall ordinarily not exceed 3 years.	
		The maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.	
12	If a Selection Committee /D.P.C. exists what is its composition	Appointing Authority	: Director/ Director-in-Charge of Institutes/ Centres and Senior DDG (A) or their nominee - Chairman
		Two External Members	: Assistant Director and equivalent from Central Govt. Offices/ Organizations or Academic Institutes
		Internal Member	: Senior Administrative Officer equivalent from other ICMR Institute/ Centre
		Member	: Representative from SC/ST category in Level 10 of the Pay Matrix [Pre-revised Grade Pay of Rs.5400] and above.

NJIL&OMD, Agra

- 1 post

Schedule

1	Name of the Post	Assistant Director (OL)
2	No. of Post	3* (2018) *Subject to variation depending on work load
3	Classification	Group A, Non-Ministerial
4	Pay Level in the Pay Matrix	Level-10 of the Pay Matrix (Pre-revised Pay Band-3, Rs.15600-39100/- Grade Pay-Rs.5400/-)
5	Whether Selection Post or Non-selection Post	Selection
6	Age limit for Direct Recruits	35 Years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangti Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman Nicobar Islands or Lakshadweep)
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	<u>Essential</u> Master's degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Master's degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of a examination at the degree level; OR Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level (ii) Three years' experience of using/applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under Central/State Governments/ Autonomous Body/Statutory Organizations/ PSUs/Universities or recognized research or educational institutions. OR Three years' experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central/State Governments/Autonomous Body/Statutory Organizations/PSUs/Universities or recognized research or educational institutions.

		<p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the DG, ICMR in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the DG, ICMR in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of, DG, ICMR is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p> <p><u>Desirable:</u></p> <p>Studied one of the languages other than Hindi included in the 8th schedule of the Constitution at 10th level from a recognized Board.</p>
8	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees	Age – No Educational Qualifications – Yes as mentioned in Col. 7
9	Period of Probation, if any	Two years for Direct Recruits
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and the percentage of vacancies to be filled by various methods.	By promotion, failing which by deputation, failing both by direct recruitment
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	<p><u>Promotion</u></p> <p>Senior Translators in Level-7 of the Pay Matrix (Pre-revised in Pay Band-2: Rs.9300 34800/- and Grade Pay-Rs.4600/-) with 3 years regular service and have successfully completed the training of 4-6 weeks as prescribed</p> <p>OR</p> <p>Junior Translators in Level-6 of the Pay Matrix (Pre-revised in Pay Band-2: Rs.9300 34800/- and Grade Pay-Rs.4200/-) with 8 years regular service and have successfully completed the training of 4-6 weeks as prescribed.</p> <p>Note:</p> <p>Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><u>Deputation</u></p> <p>Officers from Central/State Governments/UTs/Autonomous Bodies:-</p> <p>(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or</p>

		<p>(ii) with 3 years' service in the grade rendered after appointment thereon on a regular basis in posts in Level-7 of the Pay Matrix (Pre-revised in Pay Band-2: Rs.9300 34800/- and Grade Pay-Rs.4600/-); or</p> <p>(iii) with 8 years' service in the grade rendered after appointment thereon on a regular basis in posts in Level-6 of the Pay Matrix (Pre-revised in Pay Band-2: Rs.9300 34800/- and Grade Pay-Rs.4200/-); and</p> <p>(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another ex- cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>The Maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.</p>	
12	If a Selection Committee /D.P.C. exists what is its composition	Appointing Authority	: Director General, ICMR or his nominee - Chairman
		Two External Members	: Deputy Director and equivalent from Central Govt. Offices/ Organizations or Academic Institutes
		Internal Member	: Senior Administrative Officer equivalent from other ICMR Institute/ Centre
		Member	: Representative from SC/ST category in Level 11 of the Pay Matrix [Pre-revised Grade Pay of Rs.6600] and above.

1. ICMR HQs - 1 post
2. NIMR, Delhi - 1 post
3. NJIL&OMD, Agra - 1 post

Schedule

1	Name of the Post	Deputy Director (OL)
2	No. of Post	One* (2018) * Subject to variation depending on workload
3	Classification	Group A, Non-Ministerial
4	Pay Level in the Pay Matrix	Level-11 of the Pay Matrix (Pre-revised Pay Band-3, Rs.15600-39100/- Grade Pay-Rs.6600/-)
5	Whether Selection Post or Non-selection Post	Selection
6	Age limit for Direct Recruits	40 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman Nicobar Islands or Lakshadweep)
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	<u>Essential</u> (i) Master's degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Master's degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; OR Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; OR Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level; (ii) Five years' experience of using/applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under Central/State Governments/Autonomous Body/Statutory Organizations/PSUs/Universities or recognized research or educational institutions. OR Five years' experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central/State Governments/ Autonomous Body/Statutory Organizations/PSUs/Universities or recognized

		<p>research or educational institutions.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the DG, ICMR in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the DG, ICMR in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection DG, ICMR is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p> <p><u>Desirable:</u></p> <p>Studied one of the languages other than Hindi included in the 8th schedule of the Constitution at 10th level from a recognized Board.</p>
8	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees	No
9	Period of Probation, if any	Two years for Direct Recruits
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and the percentage of vacancies to be filled by various methods.	By promotion, failing which by deputation, failing both by direct recruitment
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	<p><u>Promotion</u></p> <p>Assistant Director (OL) in Level-10 of the Pay Matrix (Pre-revised in Pay Band-3: Rs.15600-39100/- and Grade Pay-Rs.5400/-) with 5 years regular service in the grade and have successfully completed the training of 4-6 weeks as prescribed.</p> <p>Note:</p> <p>Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><u>Deputation</u></p> <p>Officers from the Central/State Governments/UTs/Autonomous Bodies:-</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or</p>

		<p>(ii) with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-10 of the Pay Matrix (Pre-revised in Pay Band-3: Rs.15600-39100/- and Grade Pay-Rs.5400/-); and</p> <p>(b) Possessing the educational qualifications and experience for direct recruits under column 7.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.</p> <p>The Maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications</p>	
12	If a Selection Committee /D.P.C. exists what is its composition	Appointing Authority	: Director General, ICMR or his nominee - Chairman
		Two External Members	: Deputy Secretary/Director and equivalent from Central Govt. Offices/ Organizations or Academic Institutes
		Internal Member	: Assistant Director General (Admn) or equivalent from other ICMR Institute/ Centre
		Member	: Representative from SC/ST category in Level 12 of the Pay Matrix [Pre-revised Grade Pay of Rs.7600] and above.

ICMR HQs – 1 post

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
परिषद में हिन्दी संवर्ग के भर्ती नियम

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नियमों एवं विनियमों और उप-नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के हिन्दी संवर्ग के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- 1) इन नियमों का नाम " भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद हिन्दी संवर्ग नियम, 2018" है।
- 2) ये नियम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं :-

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अपेक्षित न हो;

- (क) नियुक्ति प्राधिकारी का अर्थ है- मुख्यालय के समूह 'ख' (लेवल 6 एवं 7) पदों के मामले में वरिष्ठ उपमहानिदेशक (प्रशासन) और यथास्थिति मामलों में संस्थानों/केन्द्रों के निदेशक अथवा प्रभारी निदेशक और समूह 'क' (लेवल 10 एवं 11) पदों के मामले में महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद;
- (ख) "प्राधिकृत संवर्ग संख्या" का अर्थ है, उस संवर्ग में इयूटी पदों की संख्या जिन पर नियमित नियुक्ति की जाए;
- (ग) "संवर्ग का अर्थ है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का हिन्दी संवर्ग;
- (घ) "परिषद का अर्थ है - भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
- (ङ) महानिदेशक भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का अर्थ है - महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद;
- (च) "निदेशक" का अर्थ है - संस्थान/केन्द्र का निदेशक/निदेशक प्रभारी;
- (छ) "इयूटी पद" का अर्थ है - अनुसूची में शामिल कोई भी स्थाई या अस्थाई पद;
- (ज) "सरकार" का अर्थ है, भारत सरकार में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग;
- (झ) "संस्थान/केन्द्र" का अर्थ है - परिषद का स्थाई संस्थान और केन्द्र;
- (ञ) "हिन्दी संवर्ग" का अर्थ है - इन नियमों के नियम 3 के अधीन उल्लिखित पदों का समूह;
- (ट) "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति" का वही अर्थ है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद - 366 के क्रमशः खंड (24) और (25) में दिया गया है।

3. संवर्ग का संघटन

हिन्दी संवर्ग पदों का संघटन इस प्रकार होगा:-

तालिका

समूह	पद/ग्रेड	अगले स्तर पर पदोन्नति हेतु अनुभव अवधि	वेतन मान (6वां केन्द्रीय वेतन आयोग)			वेतन मैट्रिक्स (7वें केन्द्रीय वेतन आयोग) में वेतन लेवल
			वेतनबैंड	वेतन	ग्रेड पे	
बी	कनिष्ठ अनुवादक	5	पीबी-2	9300-34800	4200	लेवल-6
बी	वरिष्ठ अनुवादक	3	पीबी-2	9300-34800	4600	लेवल-7
ए	सहायक निदेशक, (रा.भा.)	5	पीबी-3	15600-39100	5400	लेवल-10
ए	उपनिदेशक (रा.भा.)		पीबी-3	15600-39100	6600	लेवल-11

4. भर्ती का तारीका और पात्रता:-

संवर्ग के विभिन्न ग्रेडों में भर्ती अनुसूची के अनुसार की जाएगी। कनिष्ठ अनुवादक के पद की सीधा भर्ती हेतु लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद या उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा बनाया जाएगा।

5. ग्रेडों की प्राधिकृत संवर्ग संख्या:-

इन नियमों के लागू होने की तारीख को संवर्ग में विभिन्न ग्रेडों की प्राधिकृत संवर्ग संख्या अनुसूची में दिए गए अनुसार होगी।

6. संवर्ग का प्रारम्भिक संघटन:-

(1) इन नियमों के लागू होने की तारीख को परिषद में कार्यरत सभी समूह ए एवं बी हिन्दी स्टॉफ, तदनु रूप वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तरों में उनके द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर नियम 3 में उल्लिखित संबंधित हिन्दी पदों पर नियुक्त किए गए माने जाएंगे, जिन पर वे उपर्युक्त तालिका में दर्शाए गए अनुसार, प्रारम्भिक संघटन की तारीख को नियमित आधार पर कार्य कर रहे थे। महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को तालिका में आशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन या विलोपन का अधिकार होगा।

(2) यदि प्रारम्भिक संघटन के समय संवर्ग में विभिन्न ग्रेडों की स्वीकृत संख्या को पूरा न भरा गया हों, तो उसे नियम 7 के अनुसार भरा जाएगा।

7. सेवाओं का भावी अनुरक्षण:-

नियम 6 के अनुसार व्यक्तियों की नियुक्ति द्वारा संवर्ग के प्रारम्भिक संघटन के बाद रिक्त पदों को अनुसूची में किए गए प्रावधान के अनुसार भरा जाएगा।

8. परिवीक्षा:-

(1) इन नियमों के लागू होने के बाद किसी ग्रेड में वेतन मैट्रिक्स में किसी अन्य वेतन लेवल में सीधी भर्ती से आने वाला व्यक्ति तथा अन्य वेतन लेवल से किसी अन्य वेतन लेवल में पदोन्नत होने वाला कर्मचारी और एक समूह से दूसरे समूह में पदोन्नत कर्मचारी नियुक्ति की तारीख से 02(दो) वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेगा।

(2) परिवीक्षाधीन की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किन्तु परिवीक्षाधीन अवधि की कुल बढ़ाई गई अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी। परन्तु यह स्थिति उन मामलों में लागू नहीं होगी, जिनमें उस व्यक्ति के खिलाफ लंबित पड़ी विभागीय या विधिक कार्यवाही के कारण ऐसा करना आवश्यक हो।

(3) परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान संवर्ग के सदस्यों को ऐसा प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता होगी और ऐसी परीक्षा पास करनी होगी, जो महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित की जाए।

9. वरिष्ठता:-

(1) संवर्ग के प्रारम्भिक संघटन पर वेतन मैट्रिक्स में एक वेतन लेवल के लिए व्यक्ति की वरिष्ठता उस तारीख से गिनी जाएगी, जिस तारीख से वह उस वेतन लेवल में नियमित रूप से नियुक्त किया जाता है और वह नियम 7 के अधीन नियुक्त कर्मचारियों से वरिष्ठ होगा। पदोन्नति से प्रभावित समूह 'ए' पदों के लिए अखिल भारतीय आधार पर पारस्परिक वरिष्ठता रखी जाएगी।

(2) जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की सिफारिश और नियुक्ति नियम 7 के अधीन की गई हो, उनकी पारस्परिक वरिष्ठता वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल में उनकी नियुक्ति के अनुसार होगी।

परंतु यदि भर्ती के विभिन्न तरीके निर्धारित किए गए हो तो वेतन मैट्रिक्स के वेतन लेवल में नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता भर्ती के प्रत्येक तरीके के लिए निर्धारित अनुपात के अनुसार होगी।

परन्तु यह भी कि यदि किसी व्यक्ति की सिफारिश किसी वेतन मैट्रिक्स के वेतन लेवल में नियुक्ति के लिए की जाती है और वह नियुक्ति प्राधिकारी को स्वीकार्य कारणों से उस वेतन लेवल में नियुक्ति किए जाने के लिए किसी समय इनकार करता है तो वह उसके बाद किसी भी समय अपनी नियुक्ति पर उस वेतन लेवल के अंत में नियुक्त व्यक्ति के तत्काल बाद रखा जाएगा।

10. भारत या/और विदेश में सेवा करने के लिए अधिकारियों का दायित्व :-

नियुक्त किए गए सभी कर्मचारियों को भारत में या/ और विदेश में कहीं भी सेवा करनी होगी।

11. अयोग्यता:-

कोई ऐसा व्यक्ति इस संवर्ग में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हुआ हो या विवाह की संविदा की हो, जिसका पति/पत्नी जीवित हो/या

(ख) पति/पत्नी के जीवित होते हुए जो किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करे या विवाह की संविदा करे, परंतु यदि सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या ऐसे पक्षकार पर लागू विधि के अधीन अनुमति देने योग्य हो और ऐसा विवाह करने के अन्य कारण हों तो ऐसे व्यक्ति को इस नियम से छूट दी जा सकती है।

12. छूट देने की शक्ति :-

यदि महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की राय हो कि छूट देना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा लिखित रूप से दर्ज किए जाने वाले कारणों से किसी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकता है।

13. व्यावृत्ति :-

इन नियमों में ऐसा कुछ नहीं है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों, जैसे ओबीसी के लिए इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार आरक्षण, आयु-सीमा में रियायत और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

14. निर्वचन :-

यदि इन नियमों के प्रावधानों के निर्वचन के संबंध में कोई शंका पैदा होती है तो यह मामला अंतिम निर्णय के लिए महानिदेशक को प्रस्तुत किया जाएगा।

15. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति:-

यदि इन नियमों के प्रावधानों को लागू करने में कोई कठिनाई पैदा होती है तो महानिदेशक इन नियमों के प्रावधानों के अनुरूप ऐसे प्रावधान कर सकता है या ऐसे आदेश जारी कर सकता है, जो इस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हों।

16. निरसन :-

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद हिन्दी संवर्ग नियम, 2013 को एतद्वारा निरस्त कर दिया गया है और ये नियम भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, संस्थानों/केन्द्रों में हिन्दी संवर्ग के स्टाफ की भर्ती और पदोन्नति से संबंधित सभी मौजूदा नियमों को उस सीमा तक बढ़ाते हैं, जब तक कि मौजूदा नियम इन नियमों के साथ असंगत हैं।

1	पद नाम	कनिष्ठ अनुवादक
2	पदों की संख्या	8* (2018)* कार्यभार की विभिन्न परिस्थितियों के अधीन
3	वर्गीकरण	समूह 'बी' अलिपिकीय वर्ग
4	वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल	वेतन मैट्रिक्स का लेवल-6(पूर्ण संशोधित वेतन बैड-2, रुपये .9300 34800/- ग्रेड पे-4200/- रुपये)
5	क्या पद प्रवरण या अप्रवरण है	लागू नहीं होता।
6	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है) टिप्पण: भारत में आयु सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तारीख उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख मंडल, लाहौल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का पंगी-उप मंडल, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए उक्त निर्धारित अंतिम तारीख नहीं होगी)
7	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में परीक्षा के रूप में अंग्रेजी या हिन्दी विषय के साथ हिन्दी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी या हिन्दी विषय के साथ हिन्दी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी या अंग्रेजी परीक्षा के रूप में उनमें से किसी विषय और अन्य विषय अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी या अंग्रेजी परीक्षा के माध्यम के रूप में उनमें से किसी विषय और अन्य विषय अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी या अंग्रेजी के साथ-साथ परीक्षा के माध्यम के रूप में दोनों से कोई एक विषय या डिग्री स्तर पर

		<p>अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के साथ किसी विषय में मास्टर डिग्री। तथा</p> <p>हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी का अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाण पत्र या केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के कार्यालयों सहित भारत सरकार के उपक्रमों में हिन्दी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में महानिदेशक, भा.आ.अनुसंधान परिषद के विवेकानुसार योग्यता में छूट दी जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी योग्यता (ओं) में महानिदेशक, भा.आ.अनुसंधान परिषद के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब छूट दी जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर महानिदेशक, भा.आ.अनुसंधान परिषद की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>						
8	क्या पदोन्नत व्यक्ति के मामले में भी सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यताएं लागू होगी।	लागू नहीं होता।						
9	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो।	दो वर्ष						
10	भर्ती की प्रक्रिया : क्या पद सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भरे जाने हैं और विभिन्न प्रक्रिया से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	<p>सीधी भर्ती</p> <p>टिप्पण :</p> <p>"प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य प्रतिवेदना के तहत रिक्त हुए पदों को केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से 1 वर्ष या उससे अधिक वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाएगा :-</p> <p>(क) मूल संवर्ग/ विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदों को धारण करना ; और</p> <p>(ख) कॉलम 7 में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यताओं और अनुभवों की प्रक्रिया "।</p>						
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति या आमेलन के मामले में कोटि, जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है।	लागू नहीं होता।						
12	यदि प्रवरण समिति/डी.पी.सी. होने पर उसकी संरचना ।	<table border="1"> <tr> <td>नियुक्ति प्राधिकारी</td> <td>:</td> <td>संस्थानों/केन्द्रों के निदेशक/ प्रभारी निदेशक तथा मुख्यालय के वरि. उपमहानिदेशक (प्रशा.) या उनके द्वारा नामित- अध्यक्ष</td> </tr> <tr> <td>दो बाहरी सदस्य</td> <td>:</td> <td>केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/संस्थानों या शैक्षिक संस्थानों से सहायक निदेशक या</td> </tr> </table>	नियुक्ति प्राधिकारी	:	संस्थानों/केन्द्रों के निदेशक/ प्रभारी निदेशक तथा मुख्यालय के वरि. उपमहानिदेशक (प्रशा.) या उनके द्वारा नामित- अध्यक्ष	दो बाहरी सदस्य	:	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/संस्थानों या शैक्षिक संस्थानों से सहायक निदेशक या
नियुक्ति प्राधिकारी	:	संस्थानों/केन्द्रों के निदेशक/ प्रभारी निदेशक तथा मुख्यालय के वरि. उपमहानिदेशक (प्रशा.) या उनके द्वारा नामित- अध्यक्ष						
दो बाहरी सदस्य	:	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/संस्थानों या शैक्षिक संस्थानों से सहायक निदेशक या						

		समकक्ष
	स्थानीय सदस्य	: भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के अन्य संस्थानों/केन्द्रों से प्रशासन अधिकारी या समकक्ष
	सदस्य	: वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 (पूर्व संशोधित ग्रेड पे 5400) और उससे ऊपर के ग्रेड में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से प्रतिनिधित्व

* सीधी भर्ती के लिए, लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र स्वास्थ्य देख भाल से संबंधित सामान्य वैज्ञानिक जानकारी और अंग्रेजी से हिन्दी तथा हिन्दी से अंग्रेजी का होगा।

1. आईसीएमआर मुख्यालय -3 पद
2. एनआईएमआर, दिल्ली -1 पद
3. आरएमआरआईएमएस, पटना -1 पद
4. डीएमआरसी, जोधपुर -1 पद
5. आरएमआरसी, जबलपुर -1 पद
6. एनआईओएच, अहमदाबाद -1 पद

		<p><u>प्रतिनियुक्ति</u></p> <p>केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ शासित सरकारों/स्वायत्त निकायों से अधिकारी:-</p> <p>(क)(i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी:: या</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स के लेवल-6 (पूर्व संशोधित वेतन बैंड-2: रुपये 9300-34800/- तथा ग्रेड पे-4200/-रुपये) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा; तथा</p> <p>(ख) कॉलम-7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता को ध्यान में रखते हुए।</p> <p>टिप्पण 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति के सीधे क्रम में हैं, प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति हेतु विचार करने के योग्य नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्तकर्ता पदोन्नति की नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण- 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित एक अन्य पूर्व-संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि को इस नियुक्ति की प्रक्रिया में तुरंत मान लिया जाएगा या जो केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा।</p> <p>प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयु- सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>								
12	यदि प्रवरण समिति/डी.पी.सी. होने पर उसकी संचरना ।	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="703 1084 963 1279">नियुक्ति प्राधिकारी</td> <td data-bbox="963 1084 1439 1279">: संस्थानों/केन्द्रों के निदेशक/ प्रभारी निदेशक तथा मुख्यालय के वरि. उपमहानिदेशक (प्रशा.) या उनके द्वारा नामित- अध्यक्ष</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1279 963 1424">दो बाहरी सदस्य</td> <td data-bbox="963 1279 1439 1424">: केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/संस्थानों या शैक्षिक संस्थानों से सहायक निदेशक या समकक्ष</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1424 963 1570">स्थानीय सदस्य</td> <td data-bbox="963 1424 1439 1570">: भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अन्य संस्थान/केन्द्र से प्रशासन अधिकारी या समकक्ष</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1570 963 1758">सदस्य</td> <td data-bbox="963 1570 1439 1758">: वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 (पूर्व संशोधित ग्रेड पे 5400) और उससे ऊपर में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रेणी से प्रतिनिधि</td> </tr> </table>	नियुक्ति प्राधिकारी	: संस्थानों/केन्द्रों के निदेशक/ प्रभारी निदेशक तथा मुख्यालय के वरि. उपमहानिदेशक (प्रशा.) या उनके द्वारा नामित- अध्यक्ष	दो बाहरी सदस्य	: केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/संस्थानों या शैक्षिक संस्थानों से सहायक निदेशक या समकक्ष	स्थानीय सदस्य	: भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अन्य संस्थान/केन्द्र से प्रशासन अधिकारी या समकक्ष	सदस्य	: वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 (पूर्व संशोधित ग्रेड पे 5400) और उससे ऊपर में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रेणी से प्रतिनिधि
नियुक्ति प्राधिकारी	: संस्थानों/केन्द्रों के निदेशक/ प्रभारी निदेशक तथा मुख्यालय के वरि. उपमहानिदेशक (प्रशा.) या उनके द्वारा नामित- अध्यक्ष									
दो बाहरी सदस्य	: केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/संस्थानों या शैक्षिक संस्थानों से सहायक निदेशक या समकक्ष									
स्थानीय सदस्य	: भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अन्य संस्थान/केन्द्र से प्रशासन अधिकारी या समकक्ष									
सदस्य	: वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 (पूर्व संशोधित ग्रेड पे 5400) और उससे ऊपर में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रेणी से प्रतिनिधि									

1	पद नाम	सहायक निदेशक (रा.भा.)
2	पदों की संख्या	3* (2018) * कार्यभार की विभिन्न परिस्थितियों के अधीन
3	वर्गीकरण	समूह 'ए' अलिपिकीय वर्ग
4	वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल	वेतन मैट्रिक्स का लेवल-10 (पूर्ण संसोधित वेतन बैंड-3, रुपये .15600 39100/- ग्रेड पे-5400/- रुपये)
5	क्या पद चयनित या अचयनित है	प्रवरण
6	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	35 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है) टिप्पण: भारत में आयु सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तारीख उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त की अंतिम तारीख होगी (और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख मंडल, लाहौल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का पंगी-उप मंडल, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए उक्त निर्धारित अंतिम तारीख नहीं होगी)
7	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<u>अनिवार्य:-</u> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी या हिन्दी विषय के साथ हिन्दी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी या हिन्दी विषय के साथ हिन्दी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी या अंग्रेजी परीक्षा के रूप में उनमें से किसी विषय और अन्य विषय अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी या अंग्रेजी परीक्षा के रूप में उनमें से किसी विषय और अन्य विषय अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी या अंग्रेजी के साथ-साथ परीक्षा के माध्यम के रूप में दोनों से कोई एे या डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के साथ किसी विषय में मास्टर डिग्री। (ii) हिन्दी में शब्दावली (पारिभाषिक कार्य) का उपयोग/कार्य तथा अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य करने का तीन वर्षों का अनुभव, केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/स्वायत्त

1	पद नाम	वरिष्ठ अनुवादक
2	पदों की संख्या	1*(2018) * कार्यभार की विभिन्न परिस्थितियों के अधीन
3	वर्गीकरण	समूह 'बी' अलिपिकीय वर्ग
4	वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल	वेतन मैट्रिक्स का लेवल-7(पूर्ण संशोधित वेतन बैंड-2, रुपये .9300 34800/- ग्रेड पे-.4600/- रुपये)
5	क्या पद चयनित या अचयनित है	प्रवरण
6	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है) टिप्पण: भारत में आयु सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तारीख उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त की अंतिम तारीख होगी (और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख मंडल, लाहौल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का पंगी-उप मंडल, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए उक्त निर्धारित अंतिम तारीख नहीं होगी)
7	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<u>अनिवार्य:-</u> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी या हिन्दी विषय के साथ हिन्दी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी या हिन्दी विषय के साथ हिन्दी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी या अंग्रेजी परीक्षा के रूप में उनमें से किसी विषय और अन्य विषय अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी या अंग्रेजी परीक्षा के रूप में उनमें से किसी विषय और अन्य विषय अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी या अंग्रेजी के साथ-साथ परीक्षा

		<p>के माध्यम के रूप में दोनों से कोई ऐ या डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के साथ किसी विषय में मास्टर डिग्री।</p> <p>तथा</p> <p>हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाण पत्र या केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के कार्यालयों सहित भारत सरकार के उपक्रमों में हिन्दी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में महानिदेशक, भा.आ.अनुसंधान परिषद के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी योग्यता (ओं) में महानिदेशक, भा.आ.अनुसंधान परिषद के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब छूट दी जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर महानिदेशक, भा.आ.अनुसंधान परिषद की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के प्रयाप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>
8	क्या पदोन्नत व्यक्ति के मामले में भी सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यताएं लागू होगी।	लागू नहीं शैक्षिक योग्यता - हाँ, जैसाकि कॉलम-7 में उल्लेखित है।
9	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष
10	भर्ती की प्रक्रिया : क्या पद सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भरे जाने हैं और विभिन्न प्रक्रिया से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति द्वारा, प्रतिनियुक्ति तथा सीधी भर्ती दोनों द्वारा भरा जाना
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति या आमेलन के मामले में कोटि, जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है।	<p>पदोन्नति</p> <p>वेतन मैट्रिक्स के लेवल-6 (पूर्व संशोधित वेतन बैंड-2 ; 9300-34800/-रुपये तथा ग्रेड पे-4200/- रुपये) के ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ 4-6 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया है।</p> <p>टिप्पण:-</p> <p>जहां कनिष्ठों ने अपनी योग्यता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, और उनकी पदोन्नति पर विचार किया जाना है, उन्हें भी वरिष्ठ मानने पर विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वे ऐसी अपेक्षित योग्यता या पात्रता सेवा 2 वर्ष से कम नहीं हो, जो भी कम है और अपने कनिष्ठ के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं और जिन्होंने इस तरह की योग्यता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है।</p>

		<p>निकायों/सांविधिक संस्थानों/सार्वजनिक उपक्रमों/विश्वविद्यालयों मान्यता प्राप्त शोध या शैक्षिक संस्थानों में वैज्ञानिक साहित्य या तकनीकी साहित्य का ज्ञान।</p> <p>या</p> <p>केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/स्वायत्त निकायों/सांविधिक संस्थानों/सार्वजनिक उपक्रमों/विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त शोध या शैक्षिक संस्थानों में हिन्दी और अंग्रेजी में शिक्षण का या हिन्दी या अंग्रेजी में शोध का 3 वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: अन्यथा सूअयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में महानिदेशक, भा.आ.अनुसंधान परिषद के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी योग्यता (ओं) में महानिदेशक, भा.आ.अनुसंधान परिषद के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों के मामलों में तब छूट दी जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर महानिदेशक, भा.आ.अनुसंधान परिषद की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p> <p>वांछनीय:-</p> <p>मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वीं स्तर पर संविधान की 8 वीं अनुसूची में शामिल हिन्दी के अलावा अन्य किसी भाषा का अध्ययन।</p>
8	क्या पदोन्नत व्यक्ति के मामले में भी सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यताएं लागू होगी।	<p>आयु- नहीं</p> <p>शैक्षिक योग्यता - जी हाँ, कॉलम-7 में यथा उल्लेखित</p>
9	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो।	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष
10	भर्ती की प्रक्रिया : क्या पद सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भरे जाने हैं और विभिन्न प्रक्रिया से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति द्वारा, प्रतिनियुक्ति तथा सीधी भर्ती द्वारा दोनों भरा जाना
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति या आमेलन के मामले में कोटि, जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है।	<p>पदोन्नति</p> <p>वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 (पूर्व संशोधित वेतन बैंड-2 ; 9300-34800/- रुपये तथा ग्रेड पे-4600/- रुपये) के ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा के साथ 4-6 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया है।</p> <p>वेतन मैट्रिक्स के लेवल-6 (पूर्व संशोधित वेतन बैंड-2 9300-34800/- रुपये तथा ग्रेड पे-4200/- रुपये) के ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ 4-6 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया है।</p> <p>टिप्पण:-</p> <p>जहां कनिष्ठों ने अपनी योग्यता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, उनकी पदोन्नति पर विचार किया जाना है, उन्हें भी वरिष्ठ मानने पर विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वे ऐसी अपेक्षित योग्यता या पात्रता सेवा 2 वर्ष से कम नहीं हो, जो भी कम है और अपने कनिष्ठ के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा</p>

		<p>कर चुके हैं और जिन्होंने इस तरह की योग्यता या पात्रता सेवा पूरी कर ली हैं।</p> <p>प्रतिनियुक्ति</p> <p>केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघशासित सरकारों/स्वायत्त निकायों से अधिकारी:-</p> <p>(क)(i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी:: या</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 (पूर्व संशोधित वेतन बैंड-2: रुपये 9300-34800/- तथा ग्रेड पे-4600/-रुपये) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा;</p> <p>या</p> <p>(iii) वेतन मैट्रिक्स के लेवल-6 (पूर्व संशोधित वेतन बैंड-2: रुपये 9300-34800/- तथा ग्रेड पे-4200/-रुपये) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा; तथा</p> <p>(ख) कॉलम-7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता को ध्यान में रखते हुए।</p> <p>टिप्पण 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति के सीधे क्रम में हैं, प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति हेतु विचार करने के योग्य नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्तकर्ता पदोन्नति की नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण- 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित एक अन्य पूर्व-संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि को इस नियुक्ति की प्रक्रिया में तुरंत मान लिया जाएगा या जो केन्द्रीय सरकार के उसी सा किसी अन्य संगठन या विभाग में 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा।</p> <p>प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयु- सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>												
12	यदि चयन समिति/डी.पी.सी. मौजूद है, तो उसकी संचरना ।	<table border="1"> <tr> <td>नियुक्ति प्राधिकारी</td> <td>:</td> <td>संस्थानों/केन्द्रों के निदेशक/ प्रभारी निदेशक तथा मुख्यालय के वरि. उपमहानिदेशक (प्रशा.) या उनके द्वारा नामित- अध्यक्ष</td> </tr> <tr> <td>दो बाहरी सदस्य</td> <td>:</td> <td>केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/संस्थानों या शैक्षिक संस्थानों से सहायक निदेशक या समकक्ष</td> </tr> <tr> <td>स्थानीय सदस्य</td> <td>:</td> <td>भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अन्य संस्थान/केन्द्र से प्रशासन अधिकारी या समकक्ष</td> </tr> <tr> <td>सदस्य</td> <td>:</td> <td>वेतन मैट्रिक्स के लेवल 11 (पूर्व संशोधित ग्रेड पे 6600) और उससे ऊपर में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रेणी से प्रतिनिधि।</td> </tr> </table>	नियुक्ति प्राधिकारी	:	संस्थानों/केन्द्रों के निदेशक/ प्रभारी निदेशक तथा मुख्यालय के वरि. उपमहानिदेशक (प्रशा.) या उनके द्वारा नामित- अध्यक्ष	दो बाहरी सदस्य	:	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/संस्थानों या शैक्षिक संस्थानों से सहायक निदेशक या समकक्ष	स्थानीय सदस्य	:	भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अन्य संस्थान/केन्द्र से प्रशासन अधिकारी या समकक्ष	सदस्य	:	वेतन मैट्रिक्स के लेवल 11 (पूर्व संशोधित ग्रेड पे 6600) और उससे ऊपर में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रेणी से प्रतिनिधि।
नियुक्ति प्राधिकारी	:	संस्थानों/केन्द्रों के निदेशक/ प्रभारी निदेशक तथा मुख्यालय के वरि. उपमहानिदेशक (प्रशा.) या उनके द्वारा नामित- अध्यक्ष												
दो बाहरी सदस्य	:	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/संस्थानों या शैक्षिक संस्थानों से सहायक निदेशक या समकक्ष												
स्थानीय सदस्य	:	भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अन्य संस्थान/केन्द्र से प्रशासन अधिकारी या समकक्ष												
सदस्य	:	वेतन मैट्रिक्स के लेवल 11 (पूर्व संशोधित ग्रेड पे 6600) और उससे ऊपर में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रेणी से प्रतिनिधि।												

- | | | |
|----|--|--------|
| 1. | आईसीएमआर मुख्यालय | -1 पद |
| 2. | एनआईएमआर,दिल्ली | -1 पद |
| 3. | राष्ट्रीय जालमा कुष्ठ एवं अन्य माईकोबैक्टीरिया रोग, आगरा | - 1 पद |

1	पद नाम	उप निदेशक (रा.भा.)
2	पदों की संख्या	1* (2018) * कार्यभार की विभिन्न परिस्थितियों के अधीन
3	वर्गीकरण	समूह 'ए' अलिपिकिय वर्ग
4	वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल	वेतन मैट्रिक्स का लेवल-11 (पूर्व संशोधित वेतन बैंड-3, रुपये .15600 39100/- ग्रेड पे-6600/- रुपये)
5	क्या पद चयनित या अचयनित है	चयनित
6	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	<p>40 वर्ष</p> <p>(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है)</p> <p>टिप्पण: भारत में आयु सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तारीख उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त की अंतिम तारीख होगी (और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख मंडल, लाहौल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का पंगी-उप मंडल, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए उक्त निर्धारित अंतिम तारीख नहीं होगी)</p>
7	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p><u>आवश्यक</u></p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी या हिन्दी विषय के साथ हिन्दी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री।</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी या हिन्दी विषय के साथ हिन्दी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री।</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी या अंग्रेजी परीक्षा के रूप में उनमें से किसी विषय और अन्य विषय अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री।</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी या अंग्रेजी परीक्षा के रूप में उनमें से किसी विषय और अन्य विषय अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री।</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी या अंग्रेजी परीक्षा के रूप में उनमें से किसी विषय और अन्य विषय अनिवार्य या वैकल्पिक</p>

		<p>विषय के रूप में हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री।</p> <p>ii) हिन्दी में शब्दावली (पारिभाषिक कार्य) का उपयोग/कार्य तथा अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य करने का पांच वर्षों का अनुभव, केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/स्वायत्त निकायों/सांविधिक संस्थानों/सार्वजनिक उपक्रमों/विश्वविद्यालयों मान्यता प्राप्त शोध या शैक्षिक संस्थानों में वैज्ञानिक साहित्य या तकनीकी साहित्य का ज्ञान।</p> <p>या</p> <p>केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/स्वायत्त निकायों/सांविधिक संस्थानों/सार्वजनिक उपक्रमों/विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त शोध या शैक्षिक संस्थानों में हिन्दी और अंग्रेजी में शिक्षण का या हिन्दी या अंग्रेजी में शोध का 5 वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में महानिदेशक, भा.आ.अनुसंधान परिषद के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी योग्यता (ओं) में महानिदेशक, भा.आ.अनुसंधान परिषद के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब छूट दी जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर महानिदेशक, भा.आ.अनुसंधान परिषद की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समूहों के अभ्यर्थियों के प्रयाप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p> <p>वांछनीय:-</p> <p>मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वी स्तर पर संविधान की 8 वी अनुसूची में शामिल हिन्दी के अलावा अन्य किसी भाषा का अध्ययन।</p>
8	क्या पदोन्नत व्यक्ति के मामले में भी सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यताएं लागू होगी।	लागू नहीं
9	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो।	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष
10	भर्ती की प्रक्रिया : क्या पद सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भरे जाने हैं और विभिन्न प्रक्रिया से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति द्वारा, प्रतिनियुक्ति तथा सीधी भर्ती दोनों द्वारा भरा जाना
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति या आमेलन के मामले में कोटि, जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है।	<p>पदोन्नति:</p> <p>वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (पूर्व संशोधित वेतन बैंड-3 15600-39100/-रुपये तथा ग्रेड पे-5400/- रुपये) के ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ 4-6 सप्ताह का यथानिर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया है।</p> <p>टिप्पण:-</p>

		<p>जहां कनिष्ठों ने अपनी योग्यता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, उनकी पदोन्नति पर विचार किया जाना है, उन्हें भी वरिष्ठ मानने पर विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वे ऐसी अपेक्षित योग्यता या पात्रता सेवा 2 वर्ष से कम नहीं हो, जो भी कम है और अपने कनिष्ठ के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं और जिन्होंने इस तरह की योग्यता या पात्रता सेवा पूरी कर ली हैं।</p> <p><u>प्रतिनियुक्ति:</u> केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघशासित सरकारों/स्वायत्त निकायों से अधिकारी:- (क)(i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी: या (ii) वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (पूर्व संशोधित वेतन बैंड-3: रुपये 15600-39100/- तथा ग्रेड पे-5400/-रुपये) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा; तथा (ख) कॉलम-7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता को ध्यान में रखते हुए।</p> <p>टिप्पण 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति के सीधे क्रम में हैं, प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति हेतु विचार करने के योग्य नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्तकर्ता पदोन्नति की नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण- 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित एक अन्य पूर्व-संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि को इस नियुक्ति की प्रक्रिया में तुरंत मान लिया जाएगा या जो केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में 4 वर्ष से अधिक नहीं होगा।</p> <p>प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयु- सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	
12	यदि चयन समिति/डी.पी.सी. मौजूद है, तो उसकी संचरना ।	नियुक्ति प्राधिकारी	: संस्थानों/केन्द्रों के निदेशक/ प्रभारी निदेशक तथा मुख्यालय के वरि. उपमहानिदेशक (प्रशा.) या उनके द्वारा नामित- अध्यक्ष
		दो बाहरी सदस्य	: केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/संस्थानों या शैक्षिक संस्थानों से सहायक निदेशक या समकक्ष
		स्थानीय सदस्य	: भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अन्य संस्थान/केन्द्र से प्रशासन अधिकारी या समकक्ष
		सदस्य	: वेतन मैट्रिक्स के लेवल 12 (पूर्व संशोधित ग्रेड पे 7600) और उससे ऊपर में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रेणी से प्रतिनिधित्व